यालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

श संख्या :– 67 / 2018

1. पुष्पाबाई पिता मांगीलाल जी धाकड निवासी ढुकराई हाल मुकाम जयनगर तहसील बेगूं जिला चितौडगढ
2. नन्दुबाई पत्नी मांगीलाल जी धाकड निवासी ढुकराई तहसील बेगूं जिला चितौडगढ

वादीगण

बनाम

1. नन्दलाल पिता कालु जी धाकड निवासी ढुकराई तहसील बेगूं
2. श्रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगूं
3. श्री फतहलाल पिता देवीलाल जी धाकड निवासी ढुकराई तहसील बेगूं

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द मंत्री
अधिवक्ता वादीगण
श्री लालूराम कुमावत
अधिवक्ता प्रतिवादी–1
श्री इफ्तेखार अजमेरी
अधिवक्ता प्रतिवादी–3

निर्णय दिनांक :– 17.02.2025

निर्णय दावा अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा ढुकराई पटवार हल्का ढुकराई की वर्तमान जमाबंदी खतौनी सम्वत 2068–71 खाता संख्या 341 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी में निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित है:–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर मे
275	0.4450
294	0.2190
295	0.9630
कीता–3	1.6270हैक्टर

यह कि वर्णित आराजीयात में वादीगण का निहित हक हिस्सा 1/3 अंकित स्थित होकर वर्तमान में सहखातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होने से प्रत्येक इंच भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/3 निहित है। जिसको हर प्रकार से उपयोग उपभोग के अधिकारी वादीगण को प्राप्त है। उक्त आराजीयात पर काश्त करने एवं फसल अवेरते समय वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिक रूप से बंटवारा नहीं होने से विवाद होता रहता है वादीगण महिलाए होकर वादीयां संख्या 1 अपने ससुराल जयनगर रहने से एवं वादीयॉं संख्या 2 विधवा महिला होने से अपने हिस्से की आराजी को बॅटवाडा के अभाव में काश्त कराने एवं फसल लेने में काफी असुविधा महसूस कर रही है इसी कारण वादीगण को वास्ते बॅटवाडा यह वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि वादीगण उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीया तमे अपना निहित हक हिस्सा 1/3 को जरिये बॅटवाडा पृथक कराने की कार्यवाही हेतु तहसील में चलकर कार्यवाही बाबत प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 03.06.2013 को कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादीगण का यह वाद वास्ते बॅटवाडा विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 03.06.2013 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी को तहसील कार्यालय में चल कर बॅटवाडा की कार्यवाही करने बाबत कहने पर मना कर देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बॅटवाडा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है। साथ ही वाद वर्णित आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

यह कि वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करती है:–

(अ) कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादीगण के हिससा 1/3 को जरिये बॅटवाडा पृथक किये जाने एवं बाद विभाजन वादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि को पृथक से राजस्व रेकार्ड में अंकन कर कब्जे दिलाये जाने की आज्ञप्ति पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान की जावें।

(ब) कि अन्य कोई सहायता जो सुलभ वादीगण हो प्रदान की जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लालूराम कुमावत द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा जवाब दावा में निवेदन किया

मुझ प्रतिवादी की खातेदारी की कृषि आराजीयात जो वाद वर्णित है उसके निकट वादीगण की न तो भी देखा है न ही वादीगण का कही पर भी किसी आराजीयात पर कोई कब्जा है।

वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण के स्वर्गीय पिता मांगीलाल में अपना निहित हक हिस्सा 1/3 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख कर दी थी एवं तभी से उक्त वाद वर्णित कृषि आराजी पर केता फतहलाल धाकड का ही कब्जा होकर काश्त कर रहा है। एवं उपयोग उपभोग कर रहा है। वाद पत्र की कलम संख्या 3 कपोल कल्पित एवं मनगढन्त होकर तथा आधारहीन होने से अस्वीकार है। जब वादीगण के कोई उपयोग उपभोग की कृषि आराजीयात स्थित ही नहीं है तो वादीगण किस प्रकार मुझ प्रतिवादी के साथ विवाद हो सकता है। वादपत्र खारिज होने योग्य है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। दिनांक 03.06.2013 को वादीगण ने कभी भी मुझ प्रतिवादी को बंटवाडा पृथक कराने की कार्यवाही हेतु नहीं कहा है। गलत तथ्य एवं वाद कारण अंकित कर आधारहीन वादपत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। कलम संख्या 5 गलत तथ्य अंकित होने से अस्वीकार है वादीगण ने दिनांक 03.06.2013 को कभी भी तहसील में चलकर बंटवाडा कराने की नहीं कहा है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार है ,जब वादीगण का वादवर्णित आराजी में कोई हक हिस्सा ही नहीं है और न ही आराजी पर कब्जा है एवं न ही उपयोग उपभोग में है तो किस आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है। वादपत्र की कलम संख्या 8व 9 अस्वीकार है वादपत्र की कलम संख्या 10 मे वर्णित उपभाग "अ" में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है जब वादीगण का किसी भी प्रकार का कोई हक हिस्सा ही नही तो किस प्रकार बंटवाडा की आज्ञप्ति प्राप्त करने की अधिकारणी है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझ प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने का आदेश फरमावें।

इस दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 3 फतहलाल पुत्र देवीलाल धाकड निवासी ठुकराई जिनकी ओर से अधिवक्ता श्री अजमेरी द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का प्रस्तुत कर उन्हें पक्षकार बनाये जाने का आदेश न्यायालय द्वारा प्राप्त किया है उनकी ओर से जवाब दावा निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 1 वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी फतेहलाल का वाद वर्णित कृषि आराजीयात में 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि यानि 1/3 भाग पर कब्जा होकर 32 वर्षो से काश्त कर रहा है। वादीगण का भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 2 अस्वीकार है। वाद वर्णित भूमि में से 2बीघा 15 बिस्वा भूमि यानि 1/3 भाग पर वादीगया पुष्पा के पिता व नन्दुबाई के पति ने दिनांक 24.04.1987 को पंजीकृत विकय पत्र विलेख बैचान कर दिया और कब्जा भी प्रतिवादी फतहलाल का चला आ रहा है। वादीगण का वादवर्णित कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है वादीगण ने बैचान व कब्जे के तथ्य को छिपा कर वादपत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 3 अस्वीकार है। वादीगण का भूमि पर हक व अधिकार नही रहा है सिर्फ असत्य तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया है दिनांक 24.04.1987 को 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि यानि 1/3 भाग हिस्सा भूमि प्रतिवादी फतेहलाल को बैचान कर दिया गया फिर भी वादीगण फतेहलाल को वैचान कर दिया गया फिर भी वादीगण ने गलत तथ्य प्रस्तुत किये जो खारिज होने योग्य है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण का वाद वर्णित कृषि आराजीयात पर न तो किसी प्रकार का कब्जा है न ही किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित है। वादीगण ने काल्पनिक आधार पर वाद कारण अंकित किया है। दिनांक 03.6.2013 को कोई वाद कारण उत्पन्न ही नहीं हुआ है। इसलिए वादपत्र खारिज होने योग्य है। यहकि वादपत्र की कलम संख्या 5 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है वादीगण ने काल्पिनिक आधार पर वाद कारण अंकित किया है दिनांक 03.06.2013 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए वाद पत्र खारिज होने योग्य है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के पति ने वाद वर्णित कषि आराजीयात में 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि यानि 1/3 भाग प्रतिवादी फतहलाल को विकय कर दी। ऐसी सूरत में वादीगण का कोई हक व हिस्सा ही निहित नहीं है तो बटवाडा कैसे करा सकते है। गलत तथ्य अंकित कर वादपत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार है वादीगण का वाद वर्णित कृषि आराजीयात पर कब्जा एवं किसी प्रकार का हक हिस्सा निहित होने के कारण न्यायलय श्रीमान के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से वाद पत्र खारिज होने योग्य है। चरण संख्या 8 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण ने गलत तथ्य अंकन कर वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वादपत्र की अन्य कलम को भी अस्वीकार करते हुए उनकी ओर से प्रथक से काउण्टरक्लेम इस वादपत्र में प्रस्तुत किया है। तथा इस जवाब दावा में वादीगण का वादपत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किया जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 3 फतेहलाल पिता देवीलाल धाकड द्वारा प्रतिदावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन स प्रकार से किया है कि मौजा ठुकराई की आराजी संख्या 275, 294,295 कुल रकबा 1.6270 हैक्टर भूमि । से 2 बीघा 15 बिस्वा यानि 1/3 भाग हिस्सा पुष्पा के पिता एवं नन्दुबाई के पति ने दिनांक 24.04.1987 को पंजीकृत विक्रय विलेख से भूमि का बेचान कर भूमि पर कब्जा सिपुर्द कर दिया है तब से ही भूमि पर काउण्टरक्लेम कर्ता के कब्जे मे है।

यह कि वाद वर्णित भूमि पर वादीगण कभी नही आई है और न ही कोई अधिकार रहा है काउण्टर क्लेमकर्ता दिनांक 24.04.1987 से लगभग 32 वर्षो से कब्जा वाद वर्णित भूमि पर चला आ रहा है। एवं काउण्टर क्लेमकर्ता वाद वर्णित भूमि मे से 2 बीघा 15 बिस्वा यानि 1/3 भाग भूमि अपने नाम घोषित करवाये जाने का अधिकारी है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रतिदावाकर्ता फतहलाल के पक्ष में निम्न आशय की डिकी प्रदान की जावें कि :–

1– कि वाद वर्णित आराजी मे से 2 बीघा 15 बिस्वा यानि 1/3हिस्सा भूमि काउण्टर क्लेम कर्ता फतेहलाल के नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जावें।

2– कि अन्य कोई दाद मूफिज हो बहक काउण्टर क्लेम कर्ता के प्रदान की जावें।

प्रस्तुत काउण्टरक्लेम का जवाब वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली में निम्न तनकी पत्र कायम किया गया:–

1– आया कि वर्णित आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/3 को जरिये बंटवारा पृथक किये जाने एवं बाद विभाजन वादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि को पृथक से राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज कर कब्जा दिलाये जाने की आज्ञप्ति पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान की जावे? वादी

2– आया कि जब वादीगण का वाद वर्णित आराजीयात में कोई हक हिस्सा ही नहीं है और न ही आराजीयात पर कब्जा है एवं न ही उपयोग उपभोग है तो किस आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है। वर्णित उपभोग "अ" में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है, जब वादीगण का किसी भी प्रकार को कोई हक हिस्सा ही नहीं है तो किस प्रकार बंटवारा की आज्ञप्ति प्रदान करने का अधिकारिणी है? प्रतिवादीगण

3– आया कि उपभाग "अ" में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है वादीगण का वाद वर्णित कृषि आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित नहीं होने से खारिज होने योग्य है। उपभाग "ब" में वर्णित तथ्य मे तो किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? प्रतिवादीगण

4– दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र वादीया पुष्पाबाई पिता मांगीलाल धाकड के पेश किये जिनसे अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जिरह कर उनके बयान कलमबद्ध कराये वक्त मुख्य परीक्षण वादीया द्वारा दस्तावेज को प्रदर्श किया गया। साक्ष्य वादीगण की पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिवादीगण साक्ष्य हेतु शपथ पत्र नन्दलाल पिता कालु जाति धाकड ,फतेहलाल पिता देवीलाल धाकड के पेश किये जिनसे मुख्य परीक्षण में अधिवक्ता वादीगण द्वारा जिरह कर बयान कलमबद्ध कराये तथा प्रतिवादी फतेहलाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श किया है। इस प्रकार पत्रावली में साक्ष्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पूर्ण होने के पश्चात हमारे द्वारा वादपत्र पर उभयपक्ष की बहस को सुना गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार ही करते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा है जिसका विभाजन नहीं हुआ है, विभाजन के लिए ही यह दावा प्रस्तुत किया गया है। स्वर्गीय मांगीलाल जी की पुत्री पुष्पा है तथा पत्नि नन्दुबाई है, जिनके निहित हिंस्से अनुसार विभाजन कराया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें। बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी नन्दलाल के द्वारा निवेदन किया कि वर्ष 1981 में नन्दलाल के रजिस्ट्री करवाई भंवरलाल ने तथा वर्ष 1987 में मांगीलाल ने फ़तेहलाल के रजिस्ट्री करवाई थी, इस प्रकार आराजी में 2/3 हिस्सा पर नन्दलाल व 1/3 हिस्सा पर फतेहलाल है इन आराजीयात में पुष्पा व नन्दुबाई का कोई हक हिस्सा नहीं है। नामान्तरण नहीं खुलनें से विवाद उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार अधिवक्ता प्रतिवादी फतेहलाल द्वारा अपनी बहस को जवाब दावा अनुसार एवं प्रस्तुत काउण्टरक्लेम के अनुसार करते हुए निवेदन किया है वाद वर्णित भूमि पर वादीगण पुष्पा व नन्दुबाई का कोई हक हिस्सा है ही नहीं ना ही उनका कोई कब्जा है। वर्णित आराजी के 1/3 हिस्से को प्रतिवादी फतेहलाल द्वारा खरीद लिया था, तथा तभी से वह काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण गलत तथ्यो के आधार पर आधारहीन दावा प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन है कि मुझ प्रतिवादी का काउण्टरक्लेम स्वीकार फरमाया जावें एव दावा वादीगण का खारिज किया जावें।

पत्रावली में बहस उभयपक्ष कि सुने जाने के पश्चात पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, तथा पत्रावली में कायम तनकी अनुसार निर्णय निम्नानुसार से किया जाता हैः–

1– <u>तनकी नं01 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन हेतु जो दस्तावेज पेश किया है उसमें प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा ठुकराई पटवार हल्का ठुकराई की सम्वत 2068 से 2071 की पेश की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 275, 294, 295 कीता–3 कुल रकबा 1.6270 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री पुष्पा पिता मांगीलाल मु. नन्दुबाई बेवा मांगीलाल हि. 1/3 नन्दलाल पिता कालु 2/3 जाति धाकड सा.देह खातेदार दर्ज अंकित किया हुआ है। इस प्रकार नकल जमाबंदी के अवलोकन से तो वादीगण 1/3 हिस्से के खातेदार है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये अपने अपने

mf

ीकृत विकय विलेख का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया जिसमें प्रदर्श–डी–1 पंजीकृत विकय लेख है जो कि खातेदार मांगीलाल पिता भंवरलाल धाकड द्वारा प्रतिवादी सं. 3 फतेहलाल पिता देवीलाल धाकड के नाम पर उनके खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 275 रकबा 2बीघा 15 बिस्वा का पंजीकृत विकय किया गया है। जो दिनांक 24.04.1987 को निष्पादित किया गया है। साथ प्रदर्श–डी2 नकल जमाबंदी मौजा ठुकराई की सम्वत 2039 से 42 तक की है जिसमें खातेदार भंवरलाल आराजी संख्या 275, 294, 295 कीता–3 कुल रकबा 10बीघा 01 बिस्वा भूमि के खातेदार है तथा जमाबंदी में नोट अंकित किया हुआ है कि ई.नं. 582 बिकाव से श्री नन्दलाल पिता कालू धाकड का 2/3 हिस्सा दर्ज की मंजूरी हुई। तथा यह शेष भूमि विरासत से भंवरलाल के बजाय मांगीलाल पिता भंवरलाल का नाम दर्ज की स्वीकृति हुई। प्रदर्श–डी 3 नकल नामान्तरण संख्या 627 की है जो कि विरासत भंवरलाल से भूमि मांगीलाल पिता भंवरलाल के नाम पर दर्ज की गई है। प्रदर्श–डी–4 पंजीकृत विकय विलेख है जो कि भंवरलाल पिता मोती धाकड द्वारा नंदलाल पिता कालू जी धाकड को आराजी का विकय किया था ।

इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि वाद वर्णित कृषि आराजी मौजा ठुकराई की आराजी संख्या 275, 294, 295 कीता–3 कुल रकबा 10बीघा 01 बिस्वा भूमि के खातेदार भंवरलाल द्वारा अपनी कृषि भूमि में से 2/3 हिस्स पूर्व में नंदलाल पिता कालू जाति धाकड को विकय किया था तथा बाद में शेष बची आराजी मे से आराजी संख्या 275 रकबा 2बीघा 15 बिस्वा भूमि का विकय प्रतिवादी संख्या 3 फतेहलाल पिता भंवरलला धाकड को मांगीलाल पिता भंवरलाल द्वारा किया था। इस प्रकार वादीगण का हिस्सा वर्णित कृषि आराजीयात में नहीं रहता है, मात्र बाद में मांगीलाल द्वारा किये गये विकय का अंकन प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष मे राजस्व रेकार्ड में नहीं होने व मांगीलाल की पुत्री व पत्नी का उनकी विरासत से अंकन हो जाने से वर्तमान जमाबंदी में वादीगण का नाम अंकित हो रहा है, केवल नाम अंकित होने के आधार पर वादीगण विभाजन करा पाने की अधिकारणी नहीं है क्यो कि उनका ना तो आराजी पर कब्जा काश्तक है ना ही विकय के पश्चात उनका कोई हक हिस्सा रहता है। वादीगण वाद वर्णित कृषि आराजी में विभाजन करा पाने की अधिकारिणी नहीं पाई जाती है, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादपत्र के अनुसार प्रतिवादी फतेहलाल पिता देवीलाल धाकड उनके द्वारा पंजीकृत विकय विलेख से कय की गई कृषि आराजी मौजा ठुकराई की आराजी संख्या 275 रकबा 2बीघा 15 बिस्वा भूमि को अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने की घोषणा करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादी सं0 3 निर्णित की जाती है।

2– तनकी नम्बर 2 व 3 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है जिन्होने पत्रावली में प्रस्तुत पंजीकृत विकय विलेख एवं अन्य दस्तावेज तथा उनके द्वारा करवाए गये बयानो के आधार पर यह सिद्ध किया है कि वाद वर्णित कृषि आराजी में अब वादीगण का कोई ना तो हिस्सा है ना ही उनका कब्जा काश्त है, भूमि में 2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 नंदलाल का है जबकि 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 फतेहलाल का है, केवल फतेहलाल का कय शुदा हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नहीं होने के कारण व राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में वादीगण का नाम होने से ही वादीगण द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया है, जो कि प्रस्तुत दस्तावेज से वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होती है। जैसा कि तनकी नम्बर 1 में विस्तृत उल्लेख किया गया है कि वादीगण वाद वर्णित कृषि आराजी का विभाजन करा पाने की अधिकारी नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र अनुसार वह वर्णित आराजी में 1/3 हिस्से की घोषणा करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। इस प्रकार तनकी नम्बर 2 व 3 बहक प्रतिवादीगण व्रिरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती हैं।

पत्रावली में कायम की गई तनकी दस्तावेज साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 53–183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सवूत के आधार पर सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 फतेहलाल पिता देवीलाल धाकड निवासी ठुकराई द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादपत्र को स्वीकार किया जाता है। मौजा ठुकराई पटवार हल्का ठुकराई की कृषि आराजी संख्या 275, 294, 295 कीता–3 रकबा 1.8270 हैक्टर भूमि मे प्रतिवादी संख्या 3 फतेहलाल पिता देवीलाल धाकड निवासी ठुकराई को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा कृषि से श्री पुष्पा पिता मांगीलाल मु. नन्दुबाई बेवा मांगीलाल का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन जमाबंदी अनुसार बदस्तूर रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ (राज0)

पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा संख्या :— 67 / 2018

1. पुष्पाबाई पिता मांगीलाल जी धाकड निवासी ढुकराई हाल मुकाम जयनगर तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ
2. नन्दुबाई पत्नी मांगीलाल जी धाकड निवासी ढुकराई तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ

वादीगण

बनाम

1. नन्दलाल पिता कालु जी धाकड निवासी ढुकराई तहसील बेगूँ
2. श्रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगूँ
3. श्री फतहलाल पिता देवीलाल जी धाकड निवासी ढुकराई तहसील बेगूँ

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 53—183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री लालूराम कुमावत एवं श्री ईफतेखार अजमेरी की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53—183 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 13.02.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिमत निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53—183 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 3 का प्रतिवादपत्र स्वीकार किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :—

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 53—183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 फतेहलाल पिता देवीलाल धाकड निवासी ढुकराई द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादपत्र को स्वीकार किया जाता है। मौजा ढुकराई पटवार हल्का ढुकराई की कृषि आराजी संख्या 275,294,295 कीता—3 रकबा 1.8270 हैक्टर भूमि मे प्रतिवादी संख्या 3 फतेहलाल पिता देवीलाल धाकड निवासी ढुकराई को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा कृषि से श्री पुष्पा पिता मांगीलाल मु. नन्दुबाई बेवा मांगीलाल का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन जमाबंदी अनुसार बदस्तूर रहेगा।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 13.02.2025 को तैयार की जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक / सरिश्ता22025 / 88 दिनांक :— 17.2.25

दावा संख्या 67 / 2013 व अनवान पुष्पाबाई बनाम नंदलाल वगै दावा 53—183 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ